जय हिंद **जय संविधान** **जय भारत**

पढ़ें और शेयर करे

देश की जनता को जागरुक करने मे मदद करें

जागो जनता जागो ! **जागो जनता जागो !**

भारत देश जनता के बलिदानो से 1947 मे आजाद हुआ है ।

आईपीसी 1860 की धारा 21 के तहत सभी लोक सेवक है ।

किसी को भी पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करना बंद करें

महामहिम	माननीय	श्रीमान	श्रीमती
महोदय	महाशय	आदरणीय	आदर-पूर्वक
निवेदन	प्रार्थी	प्रार्थिनी	प्रार्थना
मी लॉर्ड	माइ लॉर्ड	आपका विश्वासी	प्रार्थना - पत्र
जैसे शब्दों का प्रयोग			

(01) भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद

(02) संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किसी धारा,

(03) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) - 1973

(04) भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860

और अन्य के किसी धारा में वर्णित नहीं है ।

वह राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय/ कार्यालय हो ।

भारत के संसद, विधानसभा, सभी न्यायालय तथा सभी कार्यालय संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी के अनुसार संचालित होते हैं न कि संस्कार/ संस्कृति से संचालित होता है । संस्कार और संस्कृति से कार्यालय में व्यवहार करना बंद करें और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना बंद करें और ऐसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना बंद करें ।

उपरोक्त शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है और बंद करें ।

आईपीसी 1860 की धारा 21 के तहत सभी लोक सेवक है।

भारत अंग्रेजों के अधीन / परतंत्र था और गुलाम नागरिक था उस समय इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था और भारत 1947 में आजाद हुआ है ।

अब तक आप गुलाम और परतंत्र की जिंदगी क्यो जी रहे हो ?

किसी को भी पत्र व्यवहार करते समय इन शब्दों का प्रयोग करना बंद करें ।

संस्कार और संस्कृति है जहाँ ! भ्रष्टाचार है वहाँ !!

देश की जनता अपने हक को जाने और प्रयोग करें ।

जय आरटीआई कार्यकर्ता जय जनता सह करदाता सह मतदाता